

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 07/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		लादूराम पुत्र श्री बिरदाराम सुनील पुत्र श्री पांचाराम निवासी हरिओम नगर माता का थान जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित  
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

- उपस्थिति: 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार महिमा जैन प्रवर्तन  
- निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।  
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.10.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी लादूराम पुत्र श्री बिरदाराम निवासी हरिओम नगर माता का थान जोधपुर के विरुद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2023 को थानाधिकारी माता का थान जोधपुर द्वारा प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी के मौखिक आदेशानुसार हरिओमनगर माता का थान जोधपुर में मय टीम द्वारा मैसर्स वैष्णोदेवी एच.पी.गैस एजेन्सी के हॉकर लादूराम पुत्र श्री बिरदाराम व सुनील पुत्र श्री पांचाराम द्वारा घरेलु/व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)  
जोधपुर



रिफलिंग करते हुए पाए गए। मौके पर मैसर्स वैष्णोदेवी एच.पी.गैस एजेन्सी का गेट पास संख्या 135 दिनांक 06.01.2023 जिस पर भरे हुए 30 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण मिला। लादूराम व सुनील के पास में 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे मिले जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	HP	537499	19.600 कि.ग्रा.	16.600 कि.ग्रा.	0.00
2.	HP	050859	19.100 कि.ग्रा.	38.000 कि.ग्रा.	18.900 कि.ग्रा.
3.	HP	196719	15.900 कि.ग्रा.	28.100 कि.ग्रा.	12.200 कि.ग्रा.
4.	HP	506226 s	16.000 कि.ग्रा.	28.400 कि.ग्रा.	12.400 कि.ग्रा.
5.	HP	323627 T	16.000 कि.ग्रा.	30.140 कि.ग्रा.	14.400 कि.ग्रा.
6.	HP	310397 (S)	16.500 कि.ग्रा.	29.100 कि.ग्रा.	12.600 कि.ग्रा.
7.	HP	453595 S	15.930 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
8.	HP	168923 S	16.200 कि.ग्रा.	28.900 कि.ग्रा.	12.700 कि.ग्रा.
9.	HP	125566 F	16.000 कि.ग्रा.	30.200 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
10.	HP	923811 T	15.700 कि.ग्रा.	29.900 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
11.	HP	888015 T	15.900 कि.ग्रा.	29.700 कि.ग्रा.	14.000 कि.ग्रा.
12.	HP	529143 S	15.800 कि.ग्रा.	30.000 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
13.	HP	250840 S	15.900 कि.ग्रा.	30.100 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
14.	HP	840557 T	15.800 कि.ग्रा.	30.000 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
15.	HP	260960 T	15.800 कि.ग्रा.	30.000 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
16.	HP	05999 J	16.200 कि.ग्रा.	30.400 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
17.	HP	185361	16.200 कि.ग्रा.	30.400 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
18.	HP	781486 T	16.000 कि.ग्रा.	30.200 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
19.	HP	331988 T	15.900 कि.ग्रा.	30.100 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
20.	HP	304214 S	15.800 कि.ग्रा.	30.000 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
21.	HP	103349 S	15.700 कि.ग्रा.	15.700 कि.ग्रा.	0.00
22.	HP	245624	16.400 कि.ग्रा.	16.400 कि.ग्रा.	0.00
23.	HP	704229 S	15.400 कि.ग्रा.	15.400 कि.ग्रा.	0.00
24.	HP	310338 S	16.000 कि.ग्रा.	16.000 कि.ग्रा.	0.00
25.	HP	489000 T	17.300 कि.ग्रा.	17.300 कि.ग्रा.	0.00
26.	HP	35748 T	15.500 कि.ग्रा.	15.500 कि.ग्रा.	0.00
27.	HP	15428	15.900 कि.ग्रा.	30.900 कि.ग्रा.	15.000 कि.ग्रा.
28.	HP	146825 P	16.000 कि.ग्रा.	30.200 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
29.	HP	291872 F	16.400 कि.ग्रा.	30.400 कि.ग्रा.	14.000 कि.ग्रा.
30.	HP	803373 T	16.100 कि.ग्रा.	30.100 कि.ग्रा.	14.000 कि.ग्रा.
31.	HP	800866 S	16.100 कि.ग्रा.	30.100 कि.ग्रा.	14.000 कि.ग्रा.
32.	HP	993303 S	15.900 कि.ग्रा.	30.100 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
33.	HP	188969 T	15.800 कि.ग्रा.	30.000 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.



5 किलो के सिलेण्डरों का विवरण					
क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	HP	19904 t	8.400 कि.ग्रा.	13.400 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
2.	HP	81785 s	8.300 कि.ग्रा.	13.300 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
3.	HP	123489 u	8.600 कि.ग्रा.	13.600 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
4.	HP	13768 t	8.400 कि.ग्रा.	13.400 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
5.	HP	155811 e	8.900 कि.ग्रा.	13.900 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
6.	HP	30080 s	8.100 कि.ग्रा.	13.100 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
7.	HP	29962 st	8.200 कि.ग्रा.	13.200 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
8.	HP	62415 d	8.600 कि.ग्रा.	13.600 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
9.	HP	39919 q	8.500 कि.ग्रा.	8.500 कि.ग्रा.	0.00
10.	HP	1654787 s	8.400 कि.ग्रा.	8.400 कि.ग्रा.	0.00
11.	HP	32810 s	8.200 कि.ग्रा.	13.200 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
12.	HP	113138 u	8.700 कि.ग्रा.	8.700 कि.ग्रा.	0.00
13.	HP	0588 t	8.500 कि.ग्रा.	13.500 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
14.	HP	5870 t	8.500 कि.ग्रा.	13.500 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
15.	HP	15600 j	8.600 कि.ग्रा.	13.600 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
16.	HP	30193 s	8.100 कि.ग्रा.	13.100 कि.ग्रा.	5.000 कि.ग्रा.
01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 01 रिफिलिंग नोजल और 02 छोटे कांटे					

उक्त 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे को जब्त सरकार किया जाकर श्री जयकिशन पुत्र श्री हनुमानराम उम्र 42 वर्ष जाति विशनोइ हाल ड्राईवर मारवाड़ गेस एजेन्सी को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, का अवैध रूप से रिफिलिंग करते पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर एच.पी. गैस के 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे पाये गये जिनका सिलेण्डरों

से अवैध रिफलिंग कार्य किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा उक्त 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से रिफलिंग किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जक्त उक्त 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर उक्त 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे पाये गये जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से रिफलिंग करते पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जक्तसुदा उक्त 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जक्तसुदा 31 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 16 छोटे 5 किलो के गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग नोजल और 2 छोटे कांटे का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)  
अफसर जिला कलेक्टर (विशेषीय)  
जोधपुर